न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर राजस्व प्रार्थनापत्र 241/2021

01. श्रीमती बगती पत्नी श्री दीपा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीया प्रतिवादी सं.

बनाम

01. मियाराम पिता श्री लच्छु गुर्जर निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करे जिला भीलवाड़ा वादी मृतक के कायम मुकाम–

1/1 श्री भागु पिता स्व0 श्री मियाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– संजाडी का बाडि तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2 श्रीमती श्रवणी पुत्री श्री मियाराम पत्नी श्री लच्छु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– भबा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/3 श्रीमती देऊ पुत्री श्री मियाराम पत्नी श्री मांगू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडि तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/4 श्रीमती सुखी पुत्री श्री मियाराम पत्नी श्री लादू गुर्जर आयु वयस्क निवासी– तगडिय तहसील केरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/5 श्रीमती सुंदरी पत्नी श्री मियाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्री हीरा पुत्र श्री दीपा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. उदा पुत्र श्री त्रिलोक गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. प्यारा पुत्र श्री त्रिलोक गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. श्रीमती लेहरी पुत्री श्री रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल हाल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

06. श्रीमती घीसी पुत्री श्री रामा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

07. श्रीमती मांगी पुत्री श्री रामा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

08. श्रीमती सायरी उर्फ सारू पत्नी श्री हीरा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– संजाडी का बाडिया तहसील माण्डल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

10. उपपंजीयकपंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)––– प्रतिवादीगण / विपक्षीगण

प्रकरण संख्या 133/2012 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 08/11/2016 व डिकी दिनांक 12/11/2016 मियाराम बनाम हीरा व अन्य

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज, दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 जा0दी0

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

1. श्री कमलेश महता
2. श्री बाबू लाल आचार्य
3. एकपक्षीय
4. पेशकार सरकार

——अधिवक्ता प्रार्थीया
——अधिवक्ता वि.सं. 1
——विपक्षी संख्या 02 लगायत 08
—— उपस्थित

:: आदेश :: दिनांक–09/12/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 133/2012 राजस्व वाद मियाराम बनाम हीरा मे पारित निर्णय दिनांक 08/11/2016 व डिक्री दिनांक 12/11/2016 के विरूद्व एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी का पेश कर प्रोपर तामिल नही होने के आधार बताकर व वादी मियाराम द्वारा दीपा पुत्र लच्छु को लच्छु के भाई रामा के गोद पुत्र गलत तौर पर बताया जाने को आधार बनाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त करने हेतु पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिसटर किया गया व विपक्षीगण को सम्मन जारी किये, विपक्षी संख्या 01 के कायम मुकाम 1/1 से 1/5 द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमे अभिवचन किया कि प्रार्थीया को प्रकरण के सम्मन नोटिस प्रोपर तामिल हुए है व उक्त प्रकरण मे शुरू से ही जानकारी थी व सम्मन नोटिस प्राप्त होने के 07 वर्ष बाद व निर्णय व डिक्री पारित होने के 03 वर्ष बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जिसमे अनुपस्थिति का कारण बताया है, जो माकुल एवं युक्तियुक्त नही है। प्रार्थीया ने अपने पुत्र को गोद जाना भी गलत अंकित किया हे, प्रार्थीया का एकमात्र पुत्र हीरा है, जो कानूनन गोद नही जा सकता है, बलिक प्रार्थीया का पति दीपा हीरा के गोद आया था। लच्छु की जायदाद पर दीपा जी व उनके वारीसान का कभी हक अधिकार नही रहा है व न ही कब्जा काश्त रहा है, बल्कि जवाबदाता विपक्षी के पिता मियारा जी लच्छु जी की जायदाद के एकमात्र मालिक व वारीस है व दीपा जी लच्छु के भाई रामा जी के गोद चला गया था, जिससे उनके हक अधिकार रामा जी की जायदाद मे ही है प्रार्थीया ने डे बाई डे देरी का कोई कारण नही बताया है। जिससे प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया को प्रकरण की प्रोपर तामिल हुई है व उसका पुत्र हीरा को भी प्रोपर तामिल हुई है, जिनको प्रकरण की शुरू से ही जानकारी है व साथ ही प्रार्थीया ने अपने पुत्र को गोद जाना बताया है, जबकि उसके एकमात्र पुत्र होने से गोद नही जा सकता है, बल्कि उसका पति दीपा जो कि हीरा के गोद आया था। मामले मे जो निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत की है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र मियाद बाहर होने व असत्य तथ्यो पर केवल वादी को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है व उक्त प्रार्थनापत्र मे देरी का कारण भी माकुल नही बताया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 सारहीन मियाद बाहर होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा